निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 64/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री पूरणमल जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी मकान नं. 105, सुभाष कालोनी, नाहरी का नाका पूर्व, शास्त्री नगर, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. डॉ.अशोक कुमार चौधरी पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर।
2. जमनादेवी पत्नी बाबूलाल जाति माली निवासी प्लाट नं. 5, शिव विहार, वी के आई ए जयपुर जरिये मुख्त्यारआम दर्शन सिंह सांखला पुत्र श्री मोहन सिंह सांखला ।
3. आवडदान चारण पुत्र सुमेर दान जाति चारण निवासी प्रतापपुरा हाल निवासी जैतारण जिला पाली ।
4. औंकार सिंह पुत्र नारायणसिंह जाति चारण निवासी ग्राम सेवापुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
5. योगेन्द्र सिंह पुत्र घनश्याम सिंह जाति चारण निवासी ग्राम सेवापुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर ।

अप्राथीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 39/2020 ब उनवानी श्रीमती सुमित्रा देवी बना श्रीमती जमना देवी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः-

1. श्री गजराज कुमार योगी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री मोहन लाल चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 21.09.2020

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 39/2020 ब उनवानी श्रीमती सुमित्रा देवी बना श्रीमती जमना देवी व अन्य विचाराधीन है, जिसमें अपीलान्ट को सुनते हुये व अपीलान्ट के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन होने के कारण उक्त आराजीयात बाबत मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिनांक 11.08.2020 को पारित कर दिये। तत्पश्चात उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, व 4 द्वारा दिनांक 21.08.2020 को एक प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई का

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार करते हुये उक्त उनवानी प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 26.08.2020 मुकर्रर कर दी। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व 4 दीगर अपील में नाजायज आदेश करवा कर उपरोक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करना चाहते है व उक्त आराजीयात पर बाला–बाला ही कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करते हुये प्लाटिंग करना चाहते है जिस वजह से रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व न्यायालय को गुमराह करते हुये उक्त आदेश दिनांक 11.08.2020 अपास्त करवाना चाहते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को दिनांक 25.08.2020 को न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में जाते हुये देखा था। न्यायालय चैम्बर के बाहर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बात करते हुये सुना गया। जिससे यह साफ साफ सम्भावना जाहिर होती है कि येनकेन प्रकारेण उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी को अपने दलबल के प्रभाव में लेते हुये दिनांक11.08.2020 को दिया गया आदेश निरस्त करवाना चाहते है तथा उक्त आराजीयात पर अवैद्य कालोनी बसा कर अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट को हानि पहुंचाना चाहते है। दिनांक 20.08.2020 को प्रार्थिया तारीख पेशी पर न्यायालय में गई तो अप्रार्थी संख्या 4 पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में गया और पीठासीन अधिकारी व अप्रार्थी संख्या 4 आपस में बात कर रहे थे कि उक्त स्टे आदेश को शीघ्र ही खारिज कर देंगे, मै सुन कर हैरान व परेशान हो गई कि प्रार्थिया उक्त न्यायालय से क्या उम्मीद करें। अप्रार्थी संख्या 4 की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थिया आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसे हुआ ? जब अप्रार्थी संख्या 4 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गये है तो फिर प्रार्थिया को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थिया को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्त करने की कोई उग्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यांयहित में आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन लाल जाट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर की है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु सहमत है। इसलिए न्यायहित में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। जयपुर मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को मुन्तकिल किया जा सकता है। इससे पक्षकारान को असुविधा भी नही होगी। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

5. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 39/2020 ब उनवानी श्रीमती सुमित्रा देवी बनाम श्रीमती जमना देवी व अन्य को अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर में मुन्तकिल किया जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर

6. पक्षकारान न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर में सुनवाई हेतु दिनांक 13.10.2020 को उपस्थित हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम/चतुर्थ जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक **21.09.2020** को सरे इजलास सुनाया गया ।

21/9/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर